कार्यालय नजारत विभाग जिला न्यायालय हापुड़।

पत्रांक– 06 /नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़।   दिनांक–06 दिसम्बर 2016

निविदा/टेण्डर

जनपद न्यायालय हापुड़ के न्यायालयों/कार्यालयों, मीटिंग हाल व न्यायाधीशगण के विश्राम कक्षो के लिये आवश्यक फर्नीचर का कय हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार सोफा सेट (लकड़ी) 5 सीटर, सेन्टर टेबल 5 अदद एवं कुर्सीया (लकड़ी की हत्थे वाली) 30 अदद का कय किया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित वस्तुओ की आपूर्ति हेतु निविदा/टेण्डर के द्वारा पंजीकृत फर्मो द्वारा दिनांक 02.01.2017 की अपराह्न 12:00 बजे तक सील बन्द लिफाफें में आमंत्रित किये जाते है। उक्त निविदा/टेण्डर दिनांक 02.01.2017 की सायं 04:00 बजे कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा/टेण्डर खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

अध्यक्ष–कय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक–प्रचार प्रसार हेतु–

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश हापुड़।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी हापुड़।
3. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद, हापुड़।
4. तहसीलदार, सदर जनपद हापुड़।
5. नोटिस बोर्ड, हापुड़ विकास प्राधिकरण।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी हापुड़।
7. कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

जिला न्यायालय हापुड़ में फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें एवं प्रतिबंध--

1. निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

2. निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी मॉडल नं0 आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

3. प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 10,000/--रू0 का बैंक ड्राफ्ट/चेक जनपद न्यायाधीश, हापुड़ के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना होगा।

4. भुगतान सामान की आपूर्ति किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

5. बिना धरोहर धनराशि के निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी तथा फर्मो की कोई शर्त बाध्यकारी नही होगी।

6. निविदा की देय में सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित होने चाहिए बाद में किसी प्रकार का टैक्स एवं माल की मूल्य वृद्धि मान्य नही होगी।

7. निविदा दाताओं द्वारा ट्रेड टैक्स एवं वैट इन्कमटैक्स विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण--पत्र भी देना अनिवार्य है।

8. यदि आपूर्ति की गयी वस्तुओं में कोई मैन्युफेक्चरिंग त्रुटि या अन्य किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे आपूर्ति कर्ता द्वारा वापस लेकर पुनः सही वस्तु की आपूर्ति अपने व्यय पर करनी होगी। ऐसी दशा में पुनः आपूर्ति के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

9. गुणवत्ता एवं आपूर्ति के पश्चात सेवाओं को प्रदान करने को तत्परता दिखाने वाली फर्मो की प्राथमिकता दी जायेगी।

10. निविदा कर्ताओं में से जो भी निविदा कर्ता उपरोक्त शर्तों में से किसी एक भी शर्त को पूर्ण नहीं करेगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, हापुड़) को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हापुड़।